"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 274] रायपुर, शनिवार, दिनांक 29 जून 2013—आषाढ़ 8, शक 1935

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 जून 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-01/2013/वाक/पांच (45).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-ख की उप-धारा (1) के खंड (दो) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है :—

संशोधन

अधिसूचना क्रमांक एफ-10/01/2013/वाक/पांच (01) दिनांक 08-01-2013, तथा अधिसूचना क्रमांक एफ-10/01/2013/वाक/पांच (02) दिनांक 08-01-2013 में अंक "30-06-2013" के स्थान पर अंक "31-08-2013" प्रतिस्थापित किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 29 जून 2013

क्रमांक एफ-10-01/2013/वाक/पांच (45).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-01/2013/वाक/पांच (45), दिनांक 29-06-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 29th June 2013

NOTIFICATION

No. F-10-01/2013/CT/V (45).—In exercise of the powers conferred by clause (ii) of sub-section (1) of section 15-B of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government, hereby, the following amendment :—

AMENDMENT

In Notification No. F-10/01/2013/CT/V (01) dated 08-01-2013, and Notification No. F-10/01/2013/CT/V (02) dated 08-01-2013, for the figure "30-06-2013" the figure "31-08-2013" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.